भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2065

14 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

शहरों के लिए जल संचयन संबंधी नीति

2065. डॉ. संजीव कुमार शिंगरीः

श्री मंगुटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में उन शहरों के लिए जहां पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है जल संचयन के संबंध में कोई नीति बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किए गए सर्वेक्षण में यथा सूचित आंध्र प्रदेश के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है;

(ड.) क्या लोगों को जल संचयन के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): जल और स्वच्छता राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय योजनागत कार्यक्रमों और परामर्शिका के माध्यम से सहायक भूमिका निभाता है। यह राज्यों/यूएलबी को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने राष्ट्रीय मिशनों जैसेकि, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के माध्यम से जल संकट के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सहायता कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मॉडल भवन निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल) 2016 द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अपने संबंधित भवन उपनियमों में वर्षा जल संचयन के प्रावधान को अपनाया है।

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शक दस्तावेज़ भी प्रकाशित किया है।

(https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf)

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), समय-समय पर निगरानी वेल के नेटवर्क के माध्यम से, क्षेत्रीय स्तर पर शहरों सहित पूरे देश में भूजल स्तर की निगरानी करता है। आंध्र प्रदेश के संबंध में विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत एक्विफर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम को पूर्ण कर लिया है। एक्विफर मैपिंग का उद्देश्य एक्विफर/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं बनाने के लिए एक्विफर की प्रकृति और उनकी विशेषताओं को विस्तार से प्रस्तुत करना है। उचित उपाय करने और कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों और सभी हितधारकों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) तैयार करने के लिए प्रेरित करने हेतु "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन"

आरंभ किया है, जिसकी टैग लाइन "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" है। लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(ड.) और (च): राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) राज्यों और हितधारकों को मानसून से पहले जलवायु परिस्थितियों और उप-मिट्टी स्तर के लिए उपयुक्त वर्षा जल संचयन संरचनाएं (आरडब्ल्यूएचएस) तैयार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान क्रियान्वित कर रहा है। इस अभियान के तहत, भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए चेक डैम, जल संचयन गड्ढे, छत पर आरडब्ल्यूएचएस आदि बनाने, अतिक्रमण हटाने और टैंकों से गाद निकालने; जलग्रहण क्षेत्रों आदि से पानी लाने वाले चैनलों में रुकावटों को हटाने, बावड़ियों की मरम्मत करने और बंद पड़े बोरवेलों और अप्रयुक्त कुओं का उपयोग करके जल को वापस एक्विफरों में डालने आदि अभियान लोगों की सक्रिय भागीदारी से चलाए जा रहे हैं।

अभियान के केंद्रित हस्तक्षेपों में से एक जागरूकता पैदा करना शामिल है। नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करने और सरकार के कार्यक्रमों/योजनाओं की जन-जन तक पहुंच बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से फिल्मों/जिंगल्स/गीतों, नुक्कड़नाटकों/नारों/दीवार लेखन आदि के ज़रिए जल संदेश देने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां चलाता है जिसमें कार्यशालाओं/वेबिनार/सेमिनारों का आयोजन, प्रचार-प्रसार शामिल है। एनडब्ल्यूएम ने एनवाईकेएस के माध्यम से जेएसए: सीटीआर के तहत 3 मिलियन गतिविधियों में 40 मिलियन से अधिक युवाओं की भागीदारी का लक्ष्य प्राप्त किया है। चालू वर्ष में, एनडब्ल्यूएम ने टेलीविजन पर 'जस्ट जूनियर' श्रृंखला के प्रसारण, 'मिशन लाइफ' के प्रचार, ट्रेनों की विनाइल रैपिंग के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग किया है।

सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक वृहद स्तर की योजना है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, देश में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन सहित स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम यहां देखे जा सकते हैं:

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2023/02/2023021742.pdf

अमृत 2.0 के तहत, जल निकायों और कुओं का जीर्णोद्धार मुख्य घटकों में से एक है। अब तक, अमृत 2.0 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 3,802 करोड़ रू. की 2,135 जलाशय जीर्णोद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शहरी एक्विफर प्रणालियों में सकारात्मक भूजल संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जलभृत प्रबंधन योजना भी तैयार की जाएगी।

"शहरों के लिए जल संचयन नीति" के संबंध में 14.12.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2065 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

आंध्र प्रदेश में माध्य के साथ दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव [नवंबर (2012 से 2021] और नवंबर 2022

क्र.सं.	शहर का नाम	विश्लेषित कुओं की सं.	चढ़ाव						उतार						चढ़ाव		उतार	
			0-2 मी.		2-4 मी.		>4 मी.		0-2 मी.		2-4 मी.		>4 मी.					
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	विजयवाड़ा	3	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	2	66.7%
2	विशाखापट्टनम	16	7	43.8%	1	6.3%	1	6.3%	5	31.3%	2	12.5%	0	0.0%	9	56.3%	7	43.8%